सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अन्तर्गत प्रधान मंत्री कार्यालय के सम्बन्ध में जानकारी

क्रम सं.	अधिनियम में प्रावधान	प्रधानमंत्री कार्यालय के सम्बन्ध में जानकारी
i	इसके गठन, कार्यकलापों और कर्तव्यों का ब्यौरा	यह जानकारी प्रधान मंत्री कार्यालय की वेबसाइट पर पहले ही उपलब्ध है ।
ii	इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य ।	प्रधान मंत्री कार्यालय के सभी अधिकारियों के कार्य आबंटन को दर्शाती सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है ।
iii	उसकी निगरानी प्रणाली और जवाबदेही समेत उसके निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनायी गई पद्धति ।	वेबसाइट पर विस्तृत रूप से यह सूचना दी गई है कि निर्णय लेने के प्रक्रम में क्या कार्यविधि अपनाई जाती है। इस प्रावधान के अन्तर्गत कार्य आबंटन सूची में जवाबदेही शामिल है।
iv	अपने कार्यों के निष्पादन के लिए स्थापित किये गए प्रतिमानक ।	प्रधान मंत्री कार्यालय से संबंधित कोई विशिष्ट प्रतिमानक नहीं है । मंत्रालयों/विभागों को लागू सामान्य प्रतिमानक/निर्देश प्रधान मंत्री कार्यालय के लिए भी लागू होते हैं ।
v	उसके कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यों के निष्पादन में उपयोग में लाए जाने वाले नियमों, विनियमों, निर्देशों, अनुदेशों, नियमावलियों और अभिलेख ।	प्रधान मंत्री कार्यालय से संबंधित कोई विशिष्ट नियम, विनियम, नियमावली नहीं है । मंत्रालयों/विभागों को लागू सामान्य नियम/विनियम इत्यादि प्रधान मंत्री कार्यालय में भी लागू होते हैं ।
vi	उसके अथवा उसके नियंत्रण में रखे गए दस्तावेज़ों का श्रेणी वार विवरण ।	प्रधान मंत्री कार्यालय में कई श्रेणियों में दस्तावेज रखे जाते हैं जैसे कि मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, विदेशी सरकारों, बहुपक्षीय एजेंसियों, जन प्रतिनिधियों जैसे कि संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों, गैर सरकारी संगठनों आदि के द्वारा भेजे गए दस्तावेज । इसके अतिरिक्त प्रधान मंत्री के विवेक पर आधारित विभिन्न निधियों से संबंधित दस्तावेज भी रखे जाते हैं।
vii	ऐसी किसी वर्तमान व्यवस्था का विवरण जिसके तहत नीति निर्धारण अथवा उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता से सलाह ली जाती हो अथवा उनके प्रतिनिधि को शामिल किया जाता हो ।	चूंकि संबंधित मंत्रालयों और विभागों द्वारा नीतियां बनाई जाती हैं, प्रधान मंत्री कार्यालय में नीति बनाने अथवा उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के लोगों से सलाह लेने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।
viii	बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकाय जिनमें दो अथवा उससे अधिक व्यक्ति शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, यह जानकारी कि	प्रधान मंत्री विभिन्न समितियों / परिषदों / निकायों की अध्यक्षता करते हैं । इनमें से मंत्रालयों/विभागों द्वारा कई समितियों / परिषदों को सेवाएं प्रदान की जाती हैं। प्रधान मंत्री

	इनकी बैठकों में क्या जनता शामिल हो सकती है अथवा ऐसी बैठकों के कार्यवृत जनता के लिए प्राप्य हैं ।	कार्यालय द्वारा जिन समितियों को सेवाएं प्रदान की जाती हैं, उनका ब्यौरा प्रधान मंत्री कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
ix	अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका	सभी अधिकारियों के नाम और पदनाम समेत वेबसाइट पर पहले ही उपलब्ध हैं ।
x	कार्यालय के नियमानुसार मुआवज़ा प्रणाली समेत प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक वेतन	प्रधान मंत्री कार्यालय के सभी अधिकारियों के नाम और पदनाम समेत वेतनमान वेबसाइट पर पहले ही उपलब्ध हैं ।
xi	उसकी प्रत्येक ऐजेंसी को आवंटित किया जाने वाले बजट का ब्यौरा जिसमें सभी योजनाओं का ब्यौरा, प्रस्तावित व्यय और जारी की गई राशि की रिपोर्टों का ब्यौरा शामिल हो ।	प्रधान मंत्री कार्यालय के पास कोई भी कार्यक्रम के लिए बजट आवंटन नहीं है और उसके सीधे नियंत्रण में कोई ऐजेंसी नहीं है।
xii	सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका, जिसमें जारी की गई राशि का ब्यौरा और ऐसे कार्यक्रमों तथा उनके लाभार्थियों का ब्यौरा ।	प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोई सब्सिडी कार्यक्रम निष्पादित नहीं किये जाते हैं ।
xiii	उन व्यक्तियों के ब्यौरे जिन्हें रियायतें, अनुज्ञापत्र, अथवा प्राधिकार-पत्र जारी किए गए ।	इस कार्यालय द्वारा कोई छूट, अनुज्ञा-पत्र अथवा प्राधिकार-पत्र प्रदान नहीं किये जाते । प्रधान मंत्री कार्यालय से संचालित प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष और राष्ट्रीय रक्षा कोष के बारे में एक संक्षिप्त सार प्रधान मंत्री कार्यालय की वेबसाइट पर पहले ही उपलब्ध है ।
xiv	इस कार्यालय के पास उपलब्ध जानकारी अथवा रखी गई जानकारी का ब्यौरा जिसे लघु रूप में इलेक्ट्रानिक स्वरूप में रखा गया हो ।	यह सभी जानकारी प्रधान मंत्री कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जा रही है, जिसे इलेक्ट्रानिक स्वरूप में उपलब्ध जानकारी के रूप में माना जा सकता है ।
xv	नागरिकों के लिए जानकारी प्राप्त करने हेतु उपलब्ध सेवाओं का विवरण, जिसमें पुस्तकालय और रीडिंग रूम का कार्यालयीन समय दर्शाया गया हो, अगर वे जनता के उपयोग के लिए हों ।	प्रधान मंत्री कार्यालय के अंतर्गत कोई जनता पुस्तकालय अथवा रीडिंग रूम नहीं है ।
xvi	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण ।	प्रधान मंत्री कार्यालय के केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी का नाम और विवरण वेबसाइट पर पहले ही उपलब्ध है ।